भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 681**

उत्तर देने की तारीख 05 फरवरी, 2026 (गुरूवार)

16 माघ, 1947 (शक)

**प्रश्न**

**चालू एनईएसआईडीएस परियोजनाएं**

**681. श्रीमती रंजीत रंजनः**
**श्री दिग्विजय सिंहः**
**श्रीमती फूलो देवी नेतमः**

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 दिसंबर, 2025 तक पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) के अंतर्गत सभी चालू परियोजनाओं की बकाया राशि का राज्य-वार एवं क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) चिह्नित की गई ऐसी परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं, जिनमें दो वर्ष से अधिक पहले स्वीकृति मिलने के बावजूद अनुमोदित लागत का 50 प्रतिशत से अधिक भाग अभी तक व्यय नहीं हुआ है;

(ग) ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है जो अभी अपनी मूल निर्धारित पूर्णता समय-सीमा से अधिक विलंबित हो गई हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक क्षेत्रीय आवंटन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री**

**(डॉ. सुकान्त मजूमदार)**

(क) से (घ) उत्तर पूर्वी विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (नेसिड्स) को वर्ष 2017-18 में केंद्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम के रूप में अनुमोदित किया गया और वर्ष 2022-23 में इसे दो घटकोंअर्थात नेसिड्स (सड़कें) और नेसिड्स (सड़कों के अलावा अन्य अवसंरचना)में पुनर्गठित किया गया। दिनांक 31.12.2025 तक नेसिड्सके तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए राज्य-वार और सेक्टर-वार बकाया राशि का विवरण संलग्न है।

दिनांक 31.12.2025 तक, नेसिड्स (सड़कें) के तहत 3परियोजनाएं और नेसिड्स (ओटीआरआई), जिसे 2 वर्ष पहले संस्वीकृत किया गया था,के तहत 27 परियोजनाएं ऐसी हैं, जिनमें संस्वीकृत लागत का 50% से अधिक खर्च नहीं हुआ है।

नेसिड्सके तहत संस्वीकृत परियोजनाओं की कार्यान्वयन अवधि कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि भौगोलिक अवस्थिति, भूभाग, भूमि की उपलब्धता, अनिवार्य कानूनी मंज़ूरियां, रुकावटों को दूर करना, वित्तीय बंदी आदि।

नेसिड्स (सड़क)के तहत, ऐसी सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को विशेष-अंतराल वित्तपोषण प्रदान किया जाता है, जो भारत सरकार की किसी अन्य स्कीम के तहत कवर नहीं हो रहे हैं। नेसिड्स (ओटीआरआई)के तहत, ऐसी परियोजनाओं को संस्वीकृत करने पर विचार किया जाता है, जिनके अंतर्गत प्राथिमक एवं द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट निपटान, औद्योगिक विकास, नागर विमानन, खेल, दूरसंचार आदिसे संबंधित अवसंरचना का निर्माण होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रकी संबंधित राज्य सरकारें अलग-अलग सेक्टरों में परियोजनाओं का चयन अपनी प्राथमिकता के अनुसार करती हैं।

नेसिड्सके तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के लिए वेटेज के आधार पर एक मानक परिव्यय का प्रावधान किया जाता है, जो क्षेत्रफल, आबादी, मानव विकास सूचकांक, सड़क घनत्व (प्रति 1000 वर्ग किमी), विद्युतीकृत गांवों की संख्या का प्रतिशत, प्रति 1000 लोगों पर अस्पताल के बेडों की संख्या (एलोपैथी) और सुरक्षित पेयजल वाले घरों का प्रतिशत आदि जैसी कसौटियों पर आधारित होता है।

*****

**अनुबंध**

**"चालू एनईएसआईडीएस परियोजनाएं" विषय पर राज्यसभा में 05 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 681 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**नेसिड्स की सभी जारी परियोजनाओं के लिए राज्य-वार बकाया राशि**

| क्र.सं. | राज्य | परियोजनाओं की संख्या | जारी देनदारी (अनुमेय केंद्रीय हिस्से के अनुसार) (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|---|
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | 25 | 395.37 |
| 2 | असम | 35 | 1012.87 |
| 3 | मणिपुर | 25 | 441.38 |
| 4 | मेघालय | 13 | 258.05 |
| 5 | मिजोरम | 24 | 275.81 |
| 6 | नागालैंड | 20 | 406.09 |
| 7 | सिक्किम | 7 | 107.90 |
| 8 | त्रिपुरा | 18 | 308.71 |
| **कुल** | | **167** | **3206.18** |

**नेसिड्स की सभी जारी परियोजनाओं के लिए सेक्टर-वार बकाया राशि**

| क्र.सं. | सेक्टर | परियोजनाओं की संख्या | जारी देनदारी (अनुमेय केंद्रीय हिस्से के अनुसार) (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|---|
| 1 | नागरविमानन | 1 | 12.00 |
| 2 | डिजिटल कनेक्टिविटी | 2 | 49.79 |
| 3 | शिक्षा | 35 | 774.55 |
| 4 | स्वास्थ्य | 36 | 317.87 |
| 5 | विद्युत | 10 | 211.88 |
| 6 | सड़कें और पुल | 53 | 1402.11 |
| 7 | खेल | 4 | 118.98 |
| 8 | पर्यटन और संस्कृति | 4 | 95.91 |
| 9 | ठोस अपशिष्ट निपटान | 1 | 49.19 |
| 10 | जलापूर्ति | 21 | 173.90 |
| **कुल** | | **167** | **3206.18** |